

**पंजीकरण पुस्तिका**  
**2018 (1)**

स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर



अम्बेडकरपुरम् योजना पनकी-कल्यानपुर रोड,  
कानपुर में गंगा एन्कलेव आवासीय परियोजना के  
अन्तर्गत स्व-वित्त पोषित बहुमंजिले

**फ्लैट्स** प्राप्त करने का  
**सुनहरा अवसर**

रेरा पंजीकरण संख्या -  
**UPRERAPRJ9530**



कार्यालय प्रयोगार्थ

ऑनलाइन पंजीकरण  
के लिए :

[www.upavp.com](http://www.upavp.com)  
पर लागू आन करें।



**उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद**

104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ.

Website : <http://www.upavp.in>, Toll Free No. : 1800-180-5333



## नीले गगन के तले, खुशियों की छांव पले।

उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद, कानपुर पेश करते हैं आवासीय सुविधाओं से सुसज्जित अति विशिष्ठ उपनगरी अम्बेडकरपुरम् योजना में स्व वित्त पोषित बहुमंजिली आवासीय परियोजना-2018 (1) के अन्तर्गत फ्लैट्स प्राप्त करने का सुनहरा अवसर।

परिषद का उद्देश्य समाज के सभी वर्गों को उनकी कय क्षमतानुसार उच्च गुणवत्ता वाले फ्लैट्स उपलब्ध कराना है।

इस परियोजना में 15 मंजिले, दो बेडरूम तथा 11 मंजिले, दो बेडरूम+स्टडी, तीन बेडरूम फ्लैट्स का निर्माण प्रस्तावित है।

### योजना के मुख्य आकर्षण

- सेन्ट्रल स्टेशन/बस स्टैण्ड से 12 किमी.
- कलेक्ट्रेट एवं स्टेडियम से 11 किमी.
- आई.आई.टी. एवं यूनिवर्सिटी से 2 किमी.
- 06 फिट ऊँची बाउण्ड्रीवाल एवं गेट
- 80 प्रतिशत ग्रीन एवं वॉकिंग ट्रैक
- स्वीमिंग पूल, जिम एवं क्लब की सुविधा
- पावर जनरेटर एवं रेनवाटर हारवैस्टिंग

# उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद एक परिचय

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद का गठन परिषद अधिनियम 1965 के अन्तर्गत आवास एवं विकास परिषद की विभिन्न योजनाओं का नियोजित ढंग से कार्यान्वयन करते हुए प्रदेश तथा राष्ट्रीय स्तर की आवास नीति एवं कार्यक्रम के अनुसार आवास संबंधी कार्यों में समन्वय लाने के उद्देश्य से किया गया।

## उद्देश्य

- प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न आवास संबंधी कार्यकलापों की योजना बनाना एवं इन योजनाओं का शीघ्र तथा प्रभावी कियान्वयन सुनिश्चित करना।
- केन्द्र एवं राज्य सरकार, व्यवसायिक बैंक, वित्तीय संस्थाओं तथा अन्य सार्वजनिक निगमों तथा उपक्रमों से अनुदान अथवा ऋण लेना।
- भूमि अर्जित करना तथा आवासीय योजनाओं में सड़क, विद्युत, जलापूर्ति, जल सम्भरण तथा अन्य नगरीय सुविधाओं एवं आवश्यकताओं की व्यवस्था करते हुए पंजीकृत व्यक्तियों की मांग के अनुरूप भूखण्ड अथवा भवन आदि निर्मित करके उनको आवंटित करना।
- समाज के दुर्बल आय वर्ग तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति, सुरक्षा कर्मचारी एवं स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी वर्ग के व्यक्तियों के लिए भवन उपलब्ध कराने हेतु विशेष प्रयास करना।
- केन्द्र / राज्य सरकार तथा उसके उपक्रम अथवा अन्य संस्थाओं के लिए कार्यालय भवन, शापिंग काम्पलेक्स तथा आवासीय कालोनियों का निर्माण करना व तकनीकी सलाह देना।

- भवन निर्माण एवं विकास कार्यों में गति लाना तथा लागत में कमी लाने के उद्देश्य से अनुसंधान कार्यों को प्रोत्साहन देना तथा कॉस्ट इफेक्टिव टेक्नालॉजी का प्रयोग करते हुए स्थानीय सामग्रियों का उपयोग करने हेतु प्रोत्साहित करना।
- परिषद अपनी योजनाओं के अर्न्तगत उन सभी अनिवार्य सेवाओं तथा नागरिक सुविधाओं जैसे विद्युत-आपूर्ति, शुद्ध पेयजल, ड्रेनेज, सीवर प्रणाली, नालियों, सड़कों, पार्कों तथा सामुदायिक केन्द्र आदि की व्यवस्था करने हेतु प्रतिबद्ध है। इसके साथ ही परिषद अपनी योजनाओं में विक्रय केन्द्रों, विद्यालयों एवं विभिन्न संस्थाओं आदि के निर्माण हेतु भी व्यवस्था करती है जिससे योजनाएं स्वयं परिपूर्ण शहरी इकाईयों के रूप में विकसित हो सकें।
- परिषद की योजनाओं में सम्पत्ति के प्रदेशन के लिये इच्छुक पंजीकृत व्यक्तियों के मध्य सम्पत्तियों का आवंटन उपलब्ध पंजीकरण के चरण की वरीयता के आधार पर लाटरी प्रणाली द्वारा अथवा कम्प्यूटर के माध्यम से स्यूडो रैंडम प्रणाली से निर्धारित वरिष्ठता सूची के आधार पर किया जायेगा।



# गंगा एन्क्लेव



Front Elevation

# SITE PLAN



# 2 BHK AND 2 BHK + STUDY CLUSTER UNIT PLAN

2 BHK + STUDY

2 BHK + STUDY



2 BHK + STUDY

2 BHK + STUDY

## 2BHK UNIT PLAN (Type-I)

Unit Built Up Area = 82.61 SQ.M.  
889.21 SQ. FT.  
Super Built Up Area = 99.73 SQ.M.  
1073.98 SQ.FT.






## 2BHK + STUDY UNIT PLAN (Type-II)

Unit Built Up Area = 103.51 SQ.M.  
1114.17 SQ. FT.  
Super Built Up Area = 120.63 SQ.M.  
1298.45 SQ.FT.



# 3 BHK CLUSTER PLAN TAPE 1 + TAPE 2




### 3 BHK TYPE 1 UNIT PLAN

Unit Built Up Area = 116.46 SQ.M.  
1253.565 SQ. FT.  
Super Built Up Area = 131.49 SQ.M.  
1415.356 SQ.FT.



### 3 BHK TYPE 2 UNIT PLAN

Unit Built Up Area = 117.12 SQ.M.  
1260.669 SQ. FT.  
Super Built Up Area = 132.15 SQ.M.  
1422.451 SQ.FT.



### (ब) फ्लैट्स की विशिष्टियाँ :-

स्ट्रक्चर	:	कालम बीम फ्रेमड स्ट्रक्चर तथा ब्रिक वर्क पार्टीसन वाल ।
फर्श	:	बेडरूम / ड्राइंग / डाइनिंग रूम में विट्रिफाइड टाइल, कामन क्षेत्र में कोटा स्टोन ।
किचन	:	कुकिंग प्लेट फार्म पर ग्रेनाइट, प्लेट फार्म के ऊपर दो फिट तक सेरेमिक टाइल, स्टेनलेस स्टील का सिंक ।
ट्वायलेट	:	फर्श पर ऐन्टी स्किड एवं दीवारों पर सेरेमिक टाइल, एक ट्वायलेट में इण्डियन व अन्य में यूरोपियन सीट, सिसटर्न व एक-एक वाश बेसिन तथा क्रोम प्लेटेड टैप फिटिंग्स ।
दरवाजे	:	मुख्य दरवाजा डिजाइनर डोर व अन्य दरवाजे फलश डोर शटर्स, चौखट मलेशियन साल वुड / एंगिल आयरन / स्लाइडिंग डोर तथा एल्युमीनियम डोर फिटिंग्स ।
खिड़कियाँ	:	यू.वी.वी.सी. विन्डो फ्रेम / ग्रिल व मच्छर जाली ।
रंग रोगन	:	आन्तरिक दीवारों व छत पर ऑयल बाउण्ड डिस्टेम्पर तथा बाहरी सतह पर एपेक्स फिनिशिंग । दरवाजों पर ऐनेमल पेन्ट / पालिश ।
विद्युत	:	अग्निरोधक पी0वी0सी0 कापर कन्सील्ड वायरिंग एवं पावर ए0सी0 प्वाइन्ट का प्राविधान / जनरेटर द्वारा पावर-बैकअप जिसके माध्यम से 2BHK एवं 2BHK+S हेतु 400 वाट, 3BHK हेतु 500 वाट व 3BHK+S हेतु 600 वाट का प्राविधान आटोकट सिस्टम के साथ ।
लिफ्ट	:	प्रत्येक टावर में एक पैसेन्जर एवं एक फ्रेट लिफ्ट का प्राविधान ।
अन्य	:	<ul style="list-style-type: none"><li>• इन्टरकाम / इण्टरनेट / टी.वी. वायरिंग का प्राविधान ।</li><li>• प्रवेश द्वार पर मोर्टिस लॉक (Lock) का प्राविधान</li><li>• प्रवेश द्वार पर नाइटलैच एवं मैजिक आई का प्राविधान ।</li><li>• वाशिंग मशीन हेतु अलग से वाटर तथा विद्युत प्वाइन्ट का प्राविधान ।</li><li>• प्रत्येक फ्लैट के साथ एक कवर्ड कार पार्किंग की सुविधा</li></ul>

### (स) फ्लैट्स की अन्य विशेषतायें :

- ◆ परिसर सुरक्षा हेतु 06 फीट ऊँची बाउण्डरीवाल एवं सुरक्षा गेट ।
- ◆ लगभग 80 प्रतिशत खुले क्षेत्र में ग्रीन एरिया एवं वार्किंग ट्रैक का निर्माण ।
- ◆ स्वीमिंग पूल जिम एवं क्लब की सुविधा ।
- ◆ पावर बैकअप हेतु बड़ी क्षमता के जनरेटर की सुविधा ।
- ◆ रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था ।

**अम्बेडकरपुरम् योजना, कानपुर में  
स्व-वित्त पोषित योजना-2018 के अन्तर्गत (आवेदन पत्र)  
निम्न बैंक शाखाओं से प्राप्त किये जा सकते हैं।**

**पंजीकरण 20 अगस्त 2018  
से प्रारम्भ**

**आवेदन पत्र जमा करने हेतु  
अन्तिम तिथि 19 सितम्बर 2018**

क्र०सं०	बैंक का नाम	पता	सम्बन्धित शाखा प्रबंधक	दूरभाष नं.
1	एचडीएफसी बैंक लि.	कल्यानपुर, कानपुर	श्री ऋषि महरोत्रा	0512-2574211 मो. 9335302106
2.	आन्ध्रा बैंक	शाखा-आफिस काम्पलेक्स केशवपुरम कल्यानपुर कानपुर	श्रीमती मोनाली गुप्ता	0512-2572002 9451972922

**बैंक की निम्न शाखाओं से पंजीकरण पुस्तिका मूल्य रु.500/- जमा करते हुए प्राप्त की जा सकेगी एवं आवेदन पत्र भरकर (पंजीकरण धनराशि सहित) निर्धारित बैंक में ही जमा किये जायेंगे।**

**महत्वपूर्ण नोट :-**

- स्व वित्त पोषित पंजीकरण 2018 (प्रथम चरण) की पंजीकरण पुस्तिका का विक्रय एवं पंजीकरण आवेदन पत्र समस्त संलग्नकों सहित जमा करने आदि से सम्बन्धित कार्य उपरोक्त बैंकों से किया जायेगा।
- (अ) डाक द्वारा पंजीकरण पुस्तिका मंगाने हेतु ₹ 500/- जी.एस.टी. सहित पुस्तिका मूल्य एवं डाक व्यय (₹ 50/-) प्रेषित कर पंजीकरण पुस्तिका उल्लिखित बैंक एवं प्रचार अनुभाग, उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद, 104 महात्मा गांधी मार्ग लखनऊ से प्राप्त की जा सकती है।  
(ब) डाक में होने वाले विलम्ब के लिये बैंक/परिषद उत्तरदायी नहीं होगी।
- बैंक ड्राफ्ट/पे आर्डर “उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद” के नाम से स्थानीय नगर अर्थात् कानपुर पर देय होगा। पंजीकरण धनराशि नगद जमा नहीं की जायेगी।

## 2. अन्य शर्तें:

- 2.1 उक्त उल्लिखित मूल्य अनुमानित है। प्रस्तावित निर्माण 15 माह में किया जाना प्रस्तावित है। परियोजना को पूर्ण होने पर वास्तविक मूल्यांकन करके ही अन्तिम मूल्य देय होगा। अतः नियत किशतों की धनराशि घट बढ़ सकती है। सम्पत्ति के वर्तमान में निर्धारित अनुमानित मूल्य में, अपरिहार्य कारणों जैसे भवन निर्माण सामग्री की बाजार दरों में वृद्धि या श्रमिक मजदूरी में वृद्धि होने पर परिवर्तन संभव है। सुपर एरिया की गणना में पार्किंग क्षेत्रफल को सम्मिलित नहीं किया गया है।
- 2.2 फ्लैट के सुपर एरिया एवं ले-आउट डिजाइन में आंशिक परिवर्तन हो सकता है।
- 2.3 प्रथम, द्वितीय व तृतीय तल के फ्लैट्स के आवेदकों को लोकेशन चार्ज के रूप में विक्रय मूल्य का क्रमशः 5,3 व 2 प्रतिशत अतिरिक्त मूल्य देना होगा।
- 2.4 उक्त अनुमानित/आगणित मूल्य के अतिरिक्त प्रत्येक फ्लैट में आवेदकों को अलग-अलग एक कार पार्किंग के लिए स्पेस बेसमेण्ट/स्टिल्ट में आरक्षित कराना अनिवार्य होगा, जिसके एक पार्किंग हेतु रु. 200000.00 एवं अतिरिक्त ओपन कार पार्किंग के लिए रु. 75000.00 अतिरिक्त देय होगा। कार पार्किंग का आवंटन लॉटरी ड्रा के आधार पर किया जायेगा।
- 2.5 प्रत्येक आवंटी को एन्क्लेव के कुल सुपर एरिया में आवंटित सुपर एरिया के अनुपात में ही एन्क्लेव की भूमि में फ्री-होल्ड चार्ज तत्समय ग्रुप हाउसिंग में प्रचलित दर पर अतिरिक्त देना होगा।
- 2.6 फ्लैट्स का भौतिक कब्जा आवंटी को प्रदान करने की तिथि से दो वर्ष तक अनुरक्षण व्यय हेतु आवंटी को "कार्पस फण्ड" में फ्लैट्स की स्वीकृत विक्रय मूल्य का 05 प्रतिशत धनराशि भौतिक कब्जे से पूर्व देनी होगी। एन्क्लेव में सर्वप्रथम व्यक्ति को दिये गये कब्जे की तिथि से दो वर्ष के बाद अनुरक्षण कार्य आवंटियों की उपरोक्त कार्पस फण्ड की अवशेष बची धनराशि सहित आवंटियों की वेलफेयर सोसाइटी को हस्तगत कर दिया जायेगा। तत्पश्चात समिति के अनुरक्षण अपने स्रोतों से कराना होगा। निर्धारित रखरखाव व्यय भौतिक कब्जा प्राप्त करने की तिथि से प्रतिमाह आवंटी को देय होगा।
- 2.7 परिसर का रखरखाव अलग से प्रथम कब्जे की तिथि से 02 वर्ष तक परिषद द्वारा किया जाना प्रस्तावित है। इसके उपरान्त उक्त फ्लैट्स के परिसर का रखरखाव रेजीडेन्ट वेलफेयर सोसाइटी द्वारा किया जायेगा। प्रत्येक आवंटी को वेलफेयर सोसाइटी का सदस्य बनना अनिवार्य होगा।
- 2.8 सुपर एरिया पर रु. 1.10 प्रति वर्ग फुट की दर से सामान्य सेवाओं जैसे लिफ्ट, जनरेटर, कैम्पस लाइट, सेक्योरिटी गार्ड, ट्यूबवेल आपरेशन, कम्युनिटी सेन्टर, विद्युत बिल, सफाई आदि के रखरखाव हेतु प्रत्येक फ्लैट आवंटी को प्रतिमाह अतिरिक्त देय होगा, जो समय-समय पर रखरखाव एजेन्सी यथा परिषद/रेजीडेन्ट सोसाइटी द्वारा आवश्यकता के अनुरूप घटाया/बढ़ाया जा सकेगा।
- 2.9 पावर-बैक-अप का सीमित प्राविधान किया गया है।

- 2.10 परिसर हेतु बाउण्ड्रीवाल का प्राविधान किया गया है। इस परिसर में मल्टी परपज हाल / कम्प्यूनिटी सेन्टर तथा एक स्वीमिंग पूल बनाया जाना प्रस्तावित है, जिसकी लागत उक्त मूल्य में सम्मिलित है।
- 2.11 यदि भविष्य में राज्य सरकार या भारत सरकार द्वारा अलग से कोई टैक्स जैसे—जी.एस.टी. आदि प्राविधानित किया जाता है अथवा प्रचलित मदों में कोई परिवर्तन किया जाता है तो वह आवंटी को वहन करना होगा।

### 3. पंजीकरण हेतु पात्रता :

- 3.1 आवेदक भारत का नागरिक हो।
- 3.2 आवेदक की आयु आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिये।
- 3.3 स्व-वित्त पोषित फ्लैट हेतु कोई आय सीमा एवं सम्पत्ति सीमा का प्रतिबन्ध नहीं है।

### 4. पंजीकरण नियम :

- 4.1 आवेदन पत्र भरने से पूर्व इस पुस्तिका में दिये गये आवेदन पत्र भरने के लिए निर्देश का अध्ययन अवश्य कर लें, ताकि प्रार्थनापत्र में किसी प्रकार की त्रुटि न होने पाये।
- 4.2 पंजीकरण हेतु निर्धारित बैंक से पंजीकरण पुस्तिका क्रय करके आवेदन पत्र सही व पूर्णरूप से भरकर निर्धारित तिथि तक चिन्हित बैंक में अन्तिम तिथि से पूर्व वांछित संलग्नकों व पंजीकरण धनराशि सहित जमा करना होगा।
- 4.3 पंजीकरण एक से अधिक या संयुक्त नाम से नहीं किया जा सकता है। केवल पति-पत्नी के लिए संयुक्त पंजीकरण अनुमन्य है। विशेष परिस्थितियों में पंजीकरण का हस्तान्तरण पति-पत्नी के मध्य नियमानुसार किया जा सकेगा। पंजीकृत आवेदक के साथ किसी अन्य व्यक्ति के नाम जोड़ने अथवा पंजीकरण के अन्तरण की प्रार्थना पर विचार नहीं किया जायेगा।
- 4.4 यदि कोई आवेदक पंजीकरण हेतु पात्रता चयन हेतु लाटरी ड्रा की तिथि के पहले जमा पंजीकरण धनराशि वापस लेना चाहता है तो उसके आवेदन करने पर जमा धनराशि परिषद के नियमानुसार संबंधित सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय द्वारा वापस की जायेगी तथा पंजीकरण निरस्त समझा जायेगा। ऐसा निरस्त पंजीकरण को बाद में पुर्नजीवित नहीं किया जा सकेगा।
- 4.5 यदि कोई आवेदक मांग पत्र निर्गत हो जाने के पश्चात तीन माह के अंदर अपनी पंजीकरण धनराशि वापस प्राप्त करने हेतु आवेदन करता है तो पंजीकरण धनराशि का 20 प्रतिशत कटौती करते हुए अवशेष धनराशि बिना ब्याज उसे वापस कर दी जायेगी। किन्तु तीन माह पश्चात ऐसा आवेदन करने पर 50 प्रतिशत की कटौती करते हुए अवशेष पंजीकरण धनराशि बिना ब्याज के वापस कर दी जायेगी एवं पंजीकरण निरस्त कर दिया जायेगा। पंजीकरण धनराशि प्राप्ति हेतु चालान की रसीद आवेदन-पत्र के साथ संबंधित सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय में जमा करनी होगी। इस प्रकार निरस्त कराये गये पंजीकरण को बाद में पुर्नजीवित करने हेतु किसी प्रकार का दावा मान्य / स्वीकार नहीं होगा।



- 4.6 फ्लैट्स निर्माण में विलम्ब के कारण किसी आबंटी को अन्तिम किश्त जमा करने के छः माह बाद तक भी परिषद फ्लैट्स आबंटित नहीं करा पाता है तो आबंटी की जमा धनराशि अन्तिम किश्त जमा करने के आगामी माह से धनराशि वापसी की मांग के पूर्व माह तक परिषद के नियमानुसार तत्समय राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा बचत खाते पर देय ब्याज सहित वापस कर दी जायेगी।
- 4.7 यदि किन्ही कारणों से परिषद द्वारा यह योजना संचालित न करने का निर्णय लिया जाता है तो पंजीकृत आवेदकों / आबंटियों की जमा धनराशि नियमानुसार वापस कर दी जायेगी। किन्तु इस स्थिति में धनराशि के एक वर्ष से अधिक अवधि तक परिषद खाते में जमा रहने की स्थिति में ही तत्समय राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा बचत खाते पर देय ब्याज दिया जायेगा।
- 4.8 इस योजना के अर्न्तगत प्रत्येक आवेदक को परिषद फ्लैट्स देने के लिए बाध्य नहीं होगी और यदि किसी पंजीकृत आवेदक को सम्पत्ति आवंटित नहीं हो पाती तो आवेदक इसके लिए परिषद से किसी प्रकार का हर्जाना प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा।
- 5. भुगतान का तरीका :**
- 5.1 पंजीकरण आवंटन की वैधता बनाये रखने हेतु मांग पत्र निर्गत होने की तिथि से एक माह के अन्दर देय निर्धारित भुगतान करना अनिवार्य होगा।
- 5.2 भुगतान की तिथि एवं किश्तों की धनराशि जमा करने के संबंध में विवरण, पात्रता का चयन आबंटन होने पर मांग पत्र के माध्यम से सूचित भी किया जायेगा। मांगपत्र निर्गमन तिथि से प्रथम किश्त की धनराशि 60 दिन के अन्दर तथा शेष धनराशि 10 त्रैमासिक किश्तों में परिषद द्वारा निर्दिष्ट बैंक द्वारा प्राप्त कराये गये विशेष जमा पर्ची के माध्यम से नगद / पे आर्डर / बैंक ड्राफ्ट जो उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद (SFS-2018(1)) KANPUR पर देय हो जमा करनी होगी।
- 5.3 चयनित आवेदक को मांग पत्र निर्गत होने की तिथि से 2 माह के अन्दर फ्लैट के सम्पूर्ण देय मूल्य का पूर्ण भुगतान करने पर फ्लैट के विक्रय मूल्य के 2 प्रतिशत की छूट अनुमन्थ होगी।
- 5.4 यदि मांग पत्र में दर्शाये गये विवरण के अनुसार निर्धारित तिथि तक वांछित भुगतान नहीं किया गया, तो किश्त की देय धनराशि पर विलम्ब अवधि के लिए जो अधिकतम 3 माह होगी, परिषद नियमानुसार साधारण ब्याज के साथ निर्धारित ब्याज देय होगा जिसका भुगतान निर्धारित किश्तों की धनराशि के साथ करना होगा अन्यथा पंजीकरण / आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा।
- 5.5 यदि कोई आवेदक निर्धारित तिथि से 3 माह के अन्दर देय किश्त की निर्धारित मूल धनराशि का भुगतान नहीं कर पाता है तो उसका पंजीकरण स्वतः निरस्त समझा जायेगा और जमा की गयी धनराशि की वापसी के नियमों के अनुसार पंजीकरण धनराशि में से निर्धारित कटौती करते हुये बिना ब्याज के वापस की जायेगी।
- 5.6 नगर निगम अथवा अन्य किसी विभाग / निकाय द्वारा लगाये गये समस्त कर / शुल्क गृहकर, जलकर आदि का भुगतान नियमानुसार आबंटियों को करना होगा।

5.7 पंजीकरण के उपरान्त मांग पत्र के अनुसार देय किशतों की धनराशि का भुगतान अधिकृत बैंक में ही नगद अथवा बैंक ड्राफ्ट द्वारा किया जायेगा। बैंक ड्राफ्ट से किशत धनराशि जमा करने की दशा में “उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद (SFS-2018) (1) Kanpur” के नाम बैंक ड्राफ्ट जो कानपुर शहर में देय हो, मांग-पत्र में अधिकृत बैंक को पंजीकरण संख्या, आवेदक का नाम, योजना का नाम, फ्लैट संख्या एवं श्रेणी आदि विवरण सहित जमा करना होगा।

## 6. आवंटन नियम :

- 6.1 परिषद / शासनादेशों के अनुसार पंजीकरण पात्रता ड्रा में आरक्षण की सुविधा आवेदकों के प्राप्त आवेदन पत्रों के मध्य आरक्षण नियमानुसार दी जायेगी।
- 6.2 प्राप्त आवेदनों की संख्या उपलब्ध फ्लैट्स की संख्या से अधिक होने पर लाटरी के आधार पर पात्र आवेदकों का चयन किया जायेगा। उक्त चयन में असफल आवेदकों को उनकी जमा धनराशि बिना ब्याज के परिषद के नियमानुसार बैंक द्वारा ही वापस कर दी जायेगी।
- 6.3 योजना में आवंटन हेतु उपलब्ध फ्लैट की संख्या से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने की स्थिति में समस्त आवेदकों के नाम की पर्चियों को श्रेणीवार एक साथ डालकर लाटरी द्वारा फ्लैट की उपलब्धता की सीमा तक पात्रता निर्धारित की जायेगी। आवेदकों की संख्या उपलब्ध फ्लैट्स की संख्या से कम होने की दशा में समस्त आवेदक चयनित पात्र माने जायेंगे।
- 6.4 समस्त चयनित आवेदक / पात्र समान होंगे। उपर्युक्त प्रक्रिया के अनुसार आवेदकों का चयन हो जाने के उपरान्त लाटरी पद्धति से नीचे से ऊपर उर्ध्व रूप से ही फ्लैट की संख्या का आवंटन किया जायेगा। चयनित हो चुके आवेदकों की सहमति से ग्रुपिंग में एक साथ रहने के आधार फ्लैट्स की उपलब्धता की स्थिति में प्रार्थना पत्र देने पर ग्रुप बनाये जाने की सुविधा यथा सम्भव दी जायेगी। चार आवेदकों की सीमा तक ही ग्रुपिंग मान्य होगी।
- 6.5 ग्रुपिंग की स्थिति में ग्रुप की एक पर्ची डाली जायेगी तथा उसके आने पर यथा सम्भव पूर्ण ग्रुप को एक ही तल पर साथ-साथ समायोजित किया जायेगा। लाटरी में ग्रुपिंग न मिलने पर कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
- 6.6 सामान्यतः पंजीकरण एवं पात्रता चयन / आवंटित फ्लैट्स का परिवर्तन नहीं किया जायेगा। विशेष कारणों / परिस्थितियों एवं आवंटी की प्रार्थना पर पंजीकरण एवं आवंटित फ्लैट का परिवर्तन नियमानुसार रिक्त के विरुद्ध परिषद द्वारा निर्धारित परिवर्तन शुल्क देने की शर्त के अधीन आवास आयुक्त द्वारा किया जा सकता है। यह परिवर्तन फ्लैट का विक्रय विलेख-निष्पादन एवं पंजीकरण से पूर्व ही अनुमन्य होगा।
- 6.7 पात्रता चयन के पूर्व समस्त आवेदकों की सूची परिषद वेबसाइट पर प्रदर्शित की जायेगी जिसमें निर्धारित तिथि के पूर्व यदि कोई त्रुटि / कमी परिलक्षित होती है तो उसका निराकरण सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय, केशवपुरम, कानपुर से सम्पर्क करके किया जा सकेगा। अन्यथा की स्थिति में पात्रता चयन के समय एवं उसके पश्चात कोई दावा मान्य नहीं होगा तथा आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।

## आरक्षण:

प्रस्तावित योजना के प्रत्येक श्रेणी के फ्लैटस में निर्गत आरक्षण शासन/परिषद के आदेशों के अनुसार प्रभावी होगा।

क्र० सं०	श्रेणी	आरक्षण प्रतिशत	अतिरिक्त रियायते तथा सूचनात्मक टिप्पणी
1	अनुसूचित जाति	21	पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ जिलाधिकारी/अपर जिलाधिकारी/ उपजिलाधिकारी/तहसीलदार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध करानी होगी।
2	अनुसूचित जनजाति	2	-----तदैव-----
3	अन्य पिछडा वर्ग	27	-----तदैव-----
4	मा० विधायक /सांसद/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी	5	(अ) पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ जिलाधिकारी/अधिकृत प्राधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध कराये। (ब) समुचित प्रमाण।
5	सरकारी सेवाओं तथा सुरक्षा सेवाओं के कर्मचारी जो 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हों।	5	पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ अधिकृत प्राधिकारी का प्रमाण-पत्र की प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध कराये।
6	उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, विकास प्राधिकारण, जल संस्थान, नगर महापालिका व स्थानीय निकायो के कर्मचारी	2	पंजीकरण आवेदन-पत्र के साथ अधिकृत अधिकारी/सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र मूलरूप में उपलब्ध कराये शर्त यह है कि कर्मचारी नियमित अधिष्ठान के अर्न्तगत कार्यरत हों।
7	वर्तमान सैनिक, भूतपूर्व सैनिक व उनके आश्रित	3	पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ नियत सैनिक अधिकारी /अधिकृत प्राधिकारी के प्रमाण-पत्र की छायाप्रति। किसी राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित उपलब्ध कराये।
8	समाज के दिव्यांग व्यक्ति	3	मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध कराये।
9	वरिष्ठ नागरिक (आवेदन पत्र को जमा करने की निर्धारित अन्तिम तिथि तक 60 वर्ष अथवा उससे अधिक की आयु पूर्ण होने के आधार पर)	10	हाईस्कूल प्रमाण पत्र/सेवानिवृत्ति प्रमाण पत्र/पेंशन पेपर का प्रमाण पत्र की किसी राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध कराये। इन प्रमाण पत्रों के उपलब्ध न होने पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्गत आयु प्रमाण पत्र की किसी राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध कराये।

नोट:- उपरोक्त में से क्रमांक 1 से 3 में आवेदक जिस वर्ग में आवेदन करेंगे लाटरी में उसी श्रेणी में सम्मिलित किया जायेगा। क्रमांक 04 से 09 तक के आरक्षण शासनादेश / परिषदादेशों के प्राविधानुसार श्रेणी 01 से 03 तक व अनारक्षित श्रेणी के मध्य से ही हारिजेन्टल रूप से किया जायेगा।

हारिजेन्टल आरक्षण लागू होने की दशा में एक ही विकल्प मान्य होगा।

- 7.1 कोड न भरने की स्थिति में आवेदक को अनारक्षित श्रेणी में सम्मिलित किया जायेगा। यह उल्लेखनीय है कि यदि आवेदक किसी आरक्षण का कोड भरने के आधार पर चयनित हो जाता है तो आरक्षण श्रेणी की पुष्टि प्रमाण-पत्रों से की जानी अनिवार्य होगी। त्रुटिपूर्ण प्रमाण होने की स्थिति में अथवा प्रमाण-पत्र सत्यापित न होने की स्थिति में आवेदन-पत्र निरस्त किया जायेगा तथा आवेदक के विरुद्ध अन्य विधिक कार्यविधि की जा सकेगी।

### **भू-विस्थापितों के लिए प्राविधान :**

भू-विस्थापित को शासनादेशों/परिषदादेशों के अनुरूप वरीयता देय होगी। भू-विस्थापितों का तात्पर्य ऐसे आवेदकों से है जिसकी भूमि/भवन को परिषद द्वारा उस योजना हेतु अधिगृहीत किया गया हो।

### **8. असफल आवेदकों को पंजीकरण धनराशि की वापसी :**

- 8.1 पात्रता चयन के पश्चात असफल आवेदकों को 10 दिनों के अन्दर बैंक द्वारा सीधे धनराशि आवेदक द्वारा दिये गये बैंक एकाउण्ट के माध्यम से वापस कर दी जायेगी।

### **9. फ्लैट्स का कब्जा :**

- 9.1 फ्लैट्स का निर्माण मांग पत्र निर्गमन की तिथि से 15 माह की अवधि में पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।
- 9.2 आवंटी द्वारा नियमानुसार फ्लैट का मूल्य व अन्य समस्त देय सहित स्टैम्प डियूटी का भुगतान फ्लैट के पंजीयन/सेल डीड कराने से पूर्व करना होगा। शासन द्वारा निर्धारित दरों पर देय स्टाम्प डियूटी व रजिस्ट्री शुल्क की अदायगी एवं निबन्धन के बाद भौतिक कब्जा हस्तगत किया जायेगा।
- 9.3 उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद द्वारा सूचित अवधि में फ्लैट का कब्जा न लेने पर आवंटी को रु. 100/- प्रतिदिन की दर से विलम्ब शुल्क देना होगा। तत्पश्चात निबन्धन से विलम्बतम तीन माह तक कब्जा न लेने पर उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद को फ्लैट का आवंटन निरस्त करने का अधिकार होगा।

### **10. तथ्यों का छिपाना :**

यदि आवेदक द्वारा दिया गया कोई विवरण असत्य पाया जाता है तो उसके पंजीकरण/आवंटन/निबन्धन को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद में निहित होगा तथा आवंटी द्वारा जमा की गई धनराशि जब्त कर ली जायेगी एवं नियमानुसार विधि सम्मत अन्य कार्यवाही की जा सकेगी।

### **11. अन्य महत्वपूर्ण सूचना/शर्तें :**

- 11.1 योजना आवासीय योजना है। अतः फ्लैट का प्रयोग केवल आवास हेतु किया जायेगा। आवंटी को फ्लैट में किसी भी प्रकार का निर्माण या परिवर्धन

अनुमन्य नहीं है। उल्लंघन किये जाने पर विधिक कार्यवाही की जा सकेगी एवं आवंटन विक्रय-विलेख निष्पादन एवं उसका पंजीकरण निरस्त किया जा सकेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त शासन/परिषद के नियम, आदेश व निर्णय आवंटी पर प्रभावी होंगे।

- 11.2 सर्वोच्च मंजिल की छत पर किसी आवंटी विशेष का अधिकार नहीं होगा तथा यह उसी टावर (ब्लॉक) के समस्त रेजीडेन्ट्स की सामुदायिक सेवाओं हेतु उपलब्ध रहेगा।
- 11.3 यदि आवंटी/आवेदक की मृत्यु हो जाती है तो उसका पंजीकरण/आवंटित फ्लैट उसके उत्तराधिकारी द्वारा पंजीकरण/फ्लैट परिवर्तन करने हेतु परिषद नियमानुसार आवश्यक अभिलेखों यथा उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, इन्डेमिटी बॉन्ड आदि उपलब्ध कराने पर विवाद न होने की दशा में परिवर्तन अनुमन्य होगा।
- 11.4 पुस्तिका में असमावेशित रह गयी शर्तों के विषय में सम्बन्धित शासनादेशों व परिषद के प्राविधान प्रभावी होंगे।
- 11.5 किसी सक्षम न्यायालय के आदेशानुसार अथवा अन्य किन्हीं अपरिहार्य कारणों से यदि परिषद द्वारा सूचित किये गये आवंटित सम्पत्ति के मूल्य में परिवर्तन करना पड़ा तो उसका भुगतान आवंटी को करना होगा।
- 11.6 किसी भी प्रकार के वाद का परिक्षेत्र लखनऊ होगा।
- 11.7 सम्पत्ति का अन्तिम मूल्य पात्रता द्रा की तिथि पर लागू होगा। सम्पत्ति के अनुमानित मूल्य में बाजार दर में वृद्धि होने पर वृद्धि सम्भावित है। 20 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होने पर आवेदक यदि चाहे तो अपनी पूरी धनराशि बिना किसी कटौती के बिना ब्याज के वापिस प्राप्त कर सकता है।
- 11.8 आवंटन तक इस योजना की किसी शर्त में संशोधन का अन्तिम अधिकार आवास आयुक्त में निहित होगा तथा ऐसे संशोधन प्रभावी होंगे। भविष्य में परिषद द्वारा समय-समय पर यदि कोई नियम/शर्त लागू होगी तो वह आवेदक को मान्य होगी।

## G.S.T. सम्बन्धी प्राविधान

1. जिस सम्पत्ति का निर्माण ग्राहकों की धनराशि से अर्थात् एस.एफ.एस. योजना के अन्तर्गत किया गया हो, उस पर नियमानुसार जीएसटी देय होगी।
2. परिषद द्वारा स्वयं के श्रोतों से निर्माण कार्य को पूर्ण कर विक्रय किए जाने पर बिक्रीत भवन के विरुद्ध जीएसटी देय नहीं होगी।
3. परिषद द्वारा बहुमंजिलों परियोजनाओं में निर्मित फ्लैटों की बिक्री पर 12 प्रतिशत की दर जीएसटी देय होगी।
4. कवर्ड कार पार्किंग स्थान, साइट प्लान चार्ज, फ्लैट परिवर्तन शुल्क, प्रो. पेड मीटर चार्ज, विद्युत संयोजन एवं सुरक्षा इत्यादि सेवाओं हेतु 18% की दर से जी.एस.टी. देय होगी।
5. पंजीकरण पुस्तिकाओं की बिक्री पर 5% की दर से जीएसटी देय होगी।
6. जीएसटी की दरें वर्तमान में प्रभावी शासनादेशों के अधीन निर्धारित एवं परिवर्तनीय हैं। भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा इनकी दरों में संशोधन किए जाने की स्थिति में आवंटियों/क्रेताओं को यथा संशोधित दरों से जीएसटी का भुगतान करना होगा।

योजना के क्रियान्वयन हेतु परिषद के अधिकारियों के  
निम्न कार्यालयों से सम्पर्क कर सकते हैं।

**एस.वी. सिंह**

उप आवास आयुक्त  
कानपुर जोन  
0522-2235427  
8795810009

**आर.एल. यादव**

अधीक्षण अभियन्ता  
चतुर्थ वृत्त कानपुर  
मो. : 8795810056

**विनीत सिंघल**

अधिशाली अभियन्ता  
निर्माण खण्ड-20, कानपुर  
मो. : 8795810069

**केशव राम**

सम्पत्ति प्रबन्धक  
यो.सं. 1/3 कानपुर  
0512-2573518  
मो. : 7705003066

## आवेदन पत्र भरने के लिए निर्देश:-

- 1 आवेदन पत्र हिन्दी या अंग्रेजी में भर सकते हैं। आवेदन पत्र काले अथवा नीले वाल प्वाइन्ट पेन से भरा जायें
- 2 आवेदन पत्र में नाम (कमांक 5 एवं 6 का) हिन्दी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में अनिवार्य रूप से भरा जाए।
- 3 आवेदन पत्र कम्प्यूटर प्रणाली द्वारा सत्यापित किये जाने हैं। अतः अंग्रेजी में अपेक्षित सूचनाये भरते समय अपेक्षित है कि इस आवेदन पत्र के ब्लाक को अंग्रेजी के बडे अक्षरो (BLOCK LETTERS) में ही भरें। हस्ताक्षर किसी भी भाषा में किये जा सकते हैं।
- 4 आवेदक केवल अंको के अन्तर्राष्ट्रीय रूप का ही प्रयोग करें जैसे : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
- 5 आवेदक को पासपोर्ट साईज का स्वहस्ताक्षरित फोटोग्राफ आवेदन पत्र पर यथास्थान लगाना है तथा इस प्रकार हस्ताक्षर किये जाये कि हस्ताक्षर का आधा भाग आवेदन पत्र पर एवं आधा भाग फोटोग्राफ पर आये। संयुक्त आवेदक (पति-पत्नी) की ओर से आवेदन की स्थिति में दोनों का संयुक्त फोटोग्राफ लगाया जाना अपेक्षित होगा
- 6 एक ब्लाक (BLOCK) में एक ही वर्ण (अक्षर या अंक) लिखें।
- 7 नाम अथवा पता भरते समय दो शब्दों के बीच स्थान छोड़ने हेतु ब्लाक्स में एक रिक्त स्थान / ब्लाक छोडा जायें।

## आवेदन पत्र भरने के लिए कोड की सूची (आरक्षण कोड)

आरक्षण कोड	कोड संख्या
अनुसूचित जाति	01
अनुसूचित जन जाति	02
अन्य पिछड़ा वर्ग	03
अनारक्षित	04
<b>हारिजेन्टल आरक्षण कोड</b>	
मा0 विधायक, सांसद, स्वतंत्रता संग्राम सैनानी	F
सरकारी सेवाओं तथा सुरक्षा सेवाओं के कर्मचारी जो 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हों	G
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, विकास प्राधिकरण, जल संस्थान, नगर महापालिका व स्थानीय निकायों के कर्मचारी	B
समाज के दिव्यांग व्यक्ति	D
वृद्धजन	O

- 8 आवेदन पत्र में बिन्दु-9 पर अंकित लिंग (SEX) कॉलम में पुरुष हेतु 'M' एवं महिला हेतु 'F' भरें।
- 9 आरक्षण की श्रेणी भरने के लिये पंजीकरण पुस्तिका में उल्लिखित "आरक्षण" नियमों का अध्ययन करें। आरक्षण के प्राविधानों को दृष्टिगत रखते उचित कोड भरना अनिवार्य होगा। रिक्त स्थान रहने की स्थिति में अभ्यर्थी को अनारक्षित श्रेणी में किया जायेगा।
- 10 बैंक ड्राफ्ट/पे ऑर्डर को लेखा शीर्षक उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद (SFS-2018)(1) KANPUR जो कानपुर में देय होगा।
- 11 संलग्नकों के विवरण में कुल संलग्न किये गये अभिलेखों की संख्या का विवरण अंकित करना होगा। बैंक ड्राफ्ट का विस्तृत विवरण आवेदन पत्र के बिन्दु-14 से दिया जायेगा। अतः इस स्तम्भ में मात्र बैंक ड्राफ्ट (उपरोक्तानुसार) लिखा जा सकता है। किन्तु आरक्षण विषयक लाभ लेने हेतु लगाये गये संलग्नकों को सावधानीपूर्वक अंकित कर प्रार्थना पत्र के साथ लगाना अनिवार्य होगा।
- 12 पात्रता झा के बाद असफल होने पर धनराशि समय से परिषद द्वारा आवेदन पत्र में उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर नोडल बैंक द्वारा सीधे आवेदनकर्ता को बैंक एकाउण्ट के माध्यम से वापस कर दी जायेगी। उक्त सूचना उपलब्ध न कराये जाने पर अथवा त्रुटिपूर्ण सूचना उपलब्ध कराये जाने की दशा में रिफण्ड के भुगतान में विलम्ब हेतु उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद का कोई उत्तरदायित्व न होगा तथा इस हेतु विलम्ब के कारण परिषद की ओर से ब्याज आदि देय न होगा। अतः आवेदन पत्र में अपना बैंक एकाउण्ट नम्बर, बैंक का नाम, शाखा एवं शहर व अन्य सूचनाओं का उल्लेख सही व त्रुटिरहित करें। आवेदक द्वारा अपने बैंक खाते का एक निरस्त चैक आवेदन के साथ संलग्न किया जाना अत्यन्त सुविधाजनक रहेगा।
- 13 आवेदन पत्र में केवल आवेदक द्वारा ही हस्ताक्षर किये जायें।
- 14 अपूर्ण आवेदनों एवं कटिंग किये हुए आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा। इस विषय में कोई दावा स्वीकार्य नहीं होगा।
- 15 परिषद में भविष्य में पत्र व्यवहार के समय चालान संख्या, शहर कोड तथा चरण अवश्य अंकित करें। पंजीकरण संख्या उपलब्ध न होने पर फार्म संख्या अंकित कर दें।
- 16 आवेदन पत्र जमा करते समय आवेदन पत्र की छायाप्रति अपने पास अवश्य सुरक्षित रखें ताकि भविष्य हेतु संदर्भ रहे।
- 17 आवेदन के साथ पैन कार्ड एवं पहचान पत्र (वोटर आई0डी0, डी0एल0, पासपोर्ट आदि) की फोटोप्रति संलग्न करना होगा।
- 18 तालिका में दर्शाये गये फ्लैटों की संख्या घट बढ़ सकती है, जिसके संबंध में कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।



## मुख्य परिभाषायें

निम्नलिखित शब्द / शब्द समूह एवं संक्षिप्त शब्द इस पुस्तिका तथा संलग्न प्रपत्रों में प्रयोग किये गये हैं, जहाँ-जहाँ वे प्रयुक्त किये गये हैं, उनके निम्नलिखित अर्थ होंगे:-

**आवेदक का परिवार :-**

इसमें स्वयं आवेदक, उसकी पत्नी / पति तथा अवयस्क बच्चे सम्मिलित हैं।

**आय :-**

आय का तात्पर्य आवेदक के समस्त श्रोतों से होने वाली पंजीकरण से पूर्व वित्तीय वर्ष की वार्षिक आय से है, इसमें आवेदक उनके पति / पत्नी तथा अवयस्क बच्चों की आय सम्मिलित होगी।

**भूखण्ड / भवन :-**

“भवन या मकान” शब्द में : “फ्लैट” भी सम्मिलित है तथा भूखण्ड का तात्पर्य आवासीय भूमि के भूखण्ड से है।

**सम्पत्ति :-**

सम्पत्ति का तात्पर्य भवन अथवा भूखण्ड से है।

**चरण (पंजीकरण का खुलना) :-**

इसका तात्पर्य निर्धारित अवधि के लिये विशिष्ट श्रेणी की सम्पत्ति के लिये पंजीकरण खुलने पर आवेदन पत्र आमंत्रित करने से है। चरण संख्या या कोड पंजीकरण खुलने की अवधि तथा तिथि सम्बन्धित है, इसलिये विभिन्न चरणों के लिये भिन्न होगी। इसी प्रकार पंजीकरण चरण पत्र में इस विशेष पंजीकरण से सम्बन्धित जानकारी दी गयी है।

**पंजीकरण का दौर :-**

इसका तात्पर्य पंजीकरण की उस प्रक्रिया से है, जिसके अन्तर्गत एक विशेष अवधि में पंजीकरण किया जाता है।

**सरकारी सेवाओं से तात्पर्य :-**

उ०प्र० राज्य की सेवा में तथा उ०प्र० राज्य के अधीन गठित निगमों, उपक्रमों एवं निकायों में कार्यरत नियमित कर्मचारियों एवं अधिकारियों से है।

स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है :-

- (1) जो उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हो और जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया हो, जिसके द्वारा इन कार्यकलापों में भाग लेने के फलस्वरूप कम से कम दो माह की अवधि के लिये कारावास का दण्ड भोगा गया हो या जिसे नजरबंदी या अंडर ट्रायल कैदी के रूप में जेल में कम से कम तीन माह की अवधि के लिये रखा गया हो या कम से कम 10 बेंतों की सजा पायी हो या फरार घोषित किया गया हो या स्वतंत्रता संग्राम में गोली से घायल हुआ हो या जिसमें वीरगति प्राप्त की हों।
- (2) जो पेशावर कांड में रहे हों या जो भूतपूर्व आजाद हिन्द फौज के प्रमाणित सैनिक हों या भूतपूर्व इण्डिया इण्डिपेन्डेंस लीग के प्रमाणित सदस्य रहे हों।
- (3) स्वतन्त्रता संग्राम के सेनानियों के आश्रितों को कोई सुविधा अनुमन्य नहीं होगी।

सुरक्षा सैनिक का तात्पर्य :-

सेवारत / सेवानिवृत्त सुरक्षा सैनिक से है।

अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ी जाति

अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ी जाति का तात्पर्य शासन द्वारा प्रसारित आदेशान्तर्गत आने वाली जातियों से है।

अन्य पिछड़े वर्ग का तात्पर्य 30प्र0 (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्ग के लिये आरक्षण अधिनियम-1994) अधिनियम संख्या-4 सन् 1974 की अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट है। इस अधिनियम की अनुसूची-दो में विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग की श्रेणी में आने वाले व्यक्तियों को इस सुविधा का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।

नेत्रहीन तथा दिव्यांग व्यक्ति का तात्पर्य :-

शासन अथवा जिला चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणित नेत्रहीन / दिव्यांग व्यक्ति से है।

परिषद कर्मचारी का तात्पर्य :-

परिषद के नियमित अधिष्ठान में सीधी भर्ती या प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्त अधिकारी / कर्मचारी से है जिनकी दो वर्ष सेवा पूरी हो।

परिषद का तात्पर्य :-

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद से है।

विकास प्राधिकरण / जल संस्थान / नगर महापालिका व स्थानीय निकाय के कर्मचारियों का तात्पर्य :-

ऐसे कर्मचारी जो नियमित अधिष्ठान में सीधी भर्ती से नियुक्त हों।

## शपथ पत्र/घोषणा पत्र

समक्ष:-आवास आयुक्त

मैं श्री/श्रीमती/कु0 ..... पुत्र/पत्नी ..... उम्र .....  
निवासी ..... यह शपथ पूर्वक ब्यान करता/करती हूँ कि :-

- 1 मैं उपरोक्त नामित एतद्वारा घोषणा करता / करती हूँ कि मैंने इस आवेदन पत्र के साथ दिये गये पंजीकरण योजना के नियमों, शर्तों दशाओं, विशेष सूचनाओं की परिभाषा (उदाहरणार्थ परिवार) पंजीकरण के इस चरण की प्रक्रिया जिसका उल्लेख इस पुस्तिका में किया गया है, जिसके साथ यह प्रपत्र सम्बद्ध है, को स्पष्ट समझ लिया तथा मैं इसके पालन का वचन देता / देती हूँ।
- 2 मैं एतद्वारा घोषणा करता / करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना मेरे अधिकतम ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सर्वथा सत्य है और कुछ भी छिपाया नहीं गया है।
- 3 मैं एतद्वारा वचन देता / देती हूँ कि यदि किसी समय यह ज्ञात हो कि मैंने स्वयं के सम्बन्ध में कोई असत्य विवरण जानबूझकर परिषद को दिये है तो परिषद को मेरे विरुद्ध ऐसी कोई कार्यवाही करने का अधिकार होगा जो वह उपयुक्त समझें।
- 4 कृपया मेरा नाम इच्छुक आवेदकों / क्रेताओं की सूची में पंजीकृत करने का कष्ट करें।
- 5 मैं ..... यह घोषणा करता / करती हूँ कि मेरी मृत्यु हो जाने पर श्री / श्रीमती ..... जो रिश्ते में मेरे / मेरी ..... हैं एवं खून के सम्बन्धी है, को इस पंजीकरण के नामान्तरण हेतु प्रथम वरीयता पर नामित करता / करती हूँ। प्रथम वरीयता के नामान्तरी की मृत्यु होने पर इसी क्रम में श्री / श्रीमती ..... जो मेरे / मेरी ..... है एवं खून के सम्बन्धी है, को इस पंजीकरण हेतु द्वितीय वरीयता पर नामित करता / करती हूँ।

आवेदक के हस्ताक्षर

## परिषद की अम्बेडकरपुरम योजना-3, कानपुर में स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत 'गंगा एन्क्लेव' के विभिन्न फ्लैटों के आन-लाइन पंजीकरण हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश

परिषद की अम्बेडकरपुरम योजना-3, कानपुर में विभिन्न फ्लैटों के आन-लाइन पंजीकरण (Online Registration) में निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करते हुए आवेदन किया जा सकता है :-

### आन-लाइन पंजीकरण (Registering Online) एवं पंजीकरण धनराशि का भुगतान (Payment of Registration Amount)

- आन-लाईन पंजीकरण प्रारम्भ होने पर आवेदक सर्वप्रथम परिषद वेबसाइट [www.upavp.in](http://www.upavp.in) पर जाकर मुख्य पृष्ठ (Homepage) के लिंक "Online Registration of Flats/Houses" पर क्लिक करना होगा।
- इसके पश्चात खुलने वाले वेब-पेज के योजनावार पंजीकरण हेतु उपलब्ध लिंक्स में जिस योजना में आवेदन करना है, उसपर क्लिक करना होगा।
- आवेदक द्वारा संबंधित योजना / फ्लैट्स की समस्त जानकारियाँ भली-भाँति पढ़कर 'Apply Online' लिंक पर क्लिक किया जायेगा।
- तत्पश्चात उपलब्ध होने वाले वेबपेज पर आवेदक द्वारा अपने आवेदन से संबंधित मुख्य जानकारियाँ (Basic Informations) यथा-नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, मोबाईल नम्बर, ई-मेल, पैन नम्बर, निवास-पता, इच्छित सम्पत्ति, पंजीकरण शुल्क के भुगतान का प्रकार, स्कैन्ड फोटोग्राफ / हस्ताक्षर एवं आरक्षण श्रेणी आदि विवरण आन-लाईन अपलोड / फीड किये जायेंगे।
- उक्त प्रक्रिया सम्पन्न करने के उपरान्त आवेदक द्वारा 'Submit' बटन पर क्लिक किया जायेगा।
- 'Submit' करने के उपरान्त आवेदक द्वारा 'Confirm' करने की दशा में उसे अपने आन-लाईन पंजीकरण से संबंधित विवरण, यूजर आईडी / पासवर्ड के साथ-साथ पंजीकरण धनराशि के भुगतान के दिशा-निर्देश सहित प्राप्त होंगे।
- उक्त वेब पेज पर अंकित लिंक 'Print' पर क्लिक करते हुए आवेदक द्वारा ई-रसीद (e-Receipt) का प्रिन्ट आउट भविष्य के सन्दर्भ हेतु अनिवार्य रूप से प्राप्त किया जायेगा।

### पंजीकरण धनराशि का भुगतान :-

- उपरोक्तानुसार आन-लाईन आवेदन के अन्तर्गत आवेदक द्वारा प्राप्त होने वाले प्रिन्ट-आउट में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का अनुपालन करते हुए पंजीकरण के पश्चात निम्नलिखित विवरणानुसार पंजीकरण धनराशि एवं आवेदन शुल्क के भुगतान की कार्यवाही की जायेगी:-
  - ✓ Visit website [www.upavp.in](http://www.upavp.in) & click on link "Online Registration of Flats/Houses "
  - ✓ Click on concerning scheme's webpage link.
  - ✓ Click on 'Apply Online' link & provide basic details and select property.
  - ✓ Please verify the registration details and click 'Confirm' button.
  - ✓ Applicant can pay registration fee instantly, if Payment mode was selected as **Netbanking/Debit/Credit Card**.
  - ✓ If applicant selected '**e-challan**' payment mode, then 'e-challan' will be generated.
  - ✓ Take the printout of 'e-challan' and pay registration fee at nearest **HDFC branch**.
- उपरोक्तानुसार पंजीकरण धनराशि / आवेदन शुल्क जमा करने के उपरान्त बैंक द्वारा आवेदक को Transaction ID प्रदान की जायेगी।

(नोट-डिमाण्ड ड्राफ्ट / बैंकर्स चेक "उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद" के पक्ष में देय होना चाहिए।)

- उपरोक्तानुसार पंजीकरण धनराशि के भुगतान उपरान्त प्राप्त हुई Transaction ID का उपयोग करते हुए आवेदन सम्बन्धी अन्य जानकारियाँ/प्रमाणपत्र/प्रपत्र दर्ज/अपलोड की जायेगी।
- आन-लाईन पंजीकरण द्वारा आवेदन से सम्बन्धित रजिस्ट्रेशन फार्म की प्रिन्टेड कॉपी की एक प्रति आवेदक द्वारा समस्त आवश्यक प्रमाणपत्रों की सत्यापित प्रतियाँ (फोटो आई0डी0 प्रमाण, जाति/आरक्षण प्रमाणपत्र, नोटरी घोषणा-पत्र, ई-चालान की प्रति आदि) सहित निम्नांकित पते पर रजिस्टर्ड डाक द्वारा प्रेषित किये जायेंगे :-

गंगा एन्क्लेव, अम्बेडकरपुरम योजना-3, कानपुर के पंजीकरण हेतु पत्राचार का पता-

"सम्पत्ति प्रबंधक

सम्पत्ति प्रबंध कार्यालय-योजना-1/3,

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,

आफिस काम्पलेक्स, कल्यानपुर,

कानपुर (उ0 प्र0)"

पिनकोड-208017

# लोकेशन प्लान



## प्रस्तावित निर्माण स्थल से प्रमुख स्थानों की दूरी :-

1. कानपुर सेन्ट्रल स्टेशन एवं अन्तरराज्जीय बस स्टैण्ड : लगभग 10-12 किमी०
2. कानपुर कलेक्ट्रेट, सिविल लाइन्स, ग्रीनपार्क सटेडियम : लगभग 9-11 किमी०
3. आई०आई०टी० कानपुर : लगभग 2.0 किमी०
4. छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर : लगभग 2.0 किमी०
5. गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कालेज, हैलेट चिकित्सालय, जे०के० कैंन्सर एवं हृदय रोग संस्थान : लगभग 5-6 किमी०
6. चन्द्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय (पत्थर कालेज) एवं एच.बी.टी.आई. : लगभग 5-6 किमी०
7. बिदूर तीर्थ स्थल : लगभग 12-14 किमी०
8. पनकी मन्दिर : लगभग 01 किमी०

**गंगा**  
एन्क्लेव

अम्बेडकरपुरम् योजना  
कल्यानपुर-पनकी रोड, कानपुर